संख्या 2121 /उन्तीस/04–2/2004

प्रेषक,

डा0 एस0एस0 सन्धू
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल पेयजल निगम,
देहरादून।

2. मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तरांचल जल संस्थान,
देहरादून।

3. निदेशक,
स्वजल परियोजना,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग

देहरादून : दिनांक /7 अगस्त, 2004

विषय : त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत पेयजल विभाग से संबंधित प्रशासनिक, कार्यकारी एवं वित्तीय अधिकारों/दायित्वो को पंचायती राज संस्थाओं को संक्रमित किया जाना।

महोदय,

संविधान के 73 वें एवं 74 वें संशोधन में निहित सत्ता के विकेन्द्रीकरण की मूल भावना को मूर्त रूप देने के लिए जन सामान्य के लाभ एवं विकास की योजनाओं के नियोजन को जनोन्मुखी एवं सार्थक कियान्वयन हेतु जन सहभागिता आवश्यक है। अतः विकास कार्यो में सक्रिय जन सहयोग प्राप्त करने हेतु प्रदेश सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था को सुदृढ एवं प्रभावी बनाने का संकल्प लिया है। ग्राम पंचायतों को विकास की मौलिक तथा सक्षम इकाई के रूप में विकसित करने हेतु जिला स्तर, क्षेत्र पंचायत स्तर तथा ग्राम स्तरीय प्रशासनिक इकाईयों को जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा ग्राम पंचायत के प्रति उत्तरदायी बनाये जाने एवं इनके विकास संबंधी

दायित्वों को पूरा करने के लिए वांछित वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इसी आधार पर पेयजल विभाग के वित्तीय/कार्यकारी अधिकार और कार्मिकों पर सामान्य नियन्त्रण त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को सौंपने का निर्णय लिया गया है।

2. ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्यो को सम्पादित करने एवं जनता के प्रति पूर्ण जबावदेही बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है कि विभाग से सम्बद्ध कर्मी पंचायत व्यवस्था के सक्षम स्तर के अधीन कार्यरत रहें। पंचायतराज व्यवस्था में विभाग के दिशानिर्देशों के अनुरूप तकनीकी कार्यों पर नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण बनाये रखने से जहां एक ओर ग्रामों में रह रही जनता की आकांक्षाऐं पूर्ण करने में मदद मिलेगी वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक व्यवस्था में नीतिगत एकरूपता और तकनीकी बिन्दुओं पर समानता बनी रहेगी। विकेन्द्रीकरण और जनसहभागिता को प्रोत्साहन देने के लिये विभाग के कर्मचारियों को पंचायतराज व्यवस्था के अधीन रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

3. उक्त क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पेयजल विभाग से संबंधित कार्यो का सम्पादन, नियंत्रण तथा वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों/दायित्वों का प्रतिनिधायन जिला स्तर/क्षेत्र पंचायत स्तर/ग्राम पंचायत स्तर पर निम्नलिखित मार्ग निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा तथा जिला स्तरीय/क्षेत्र पंचायत स्तरीय/ग्राम पंचायत स्तरीय पेयजल विभाग के अधिकारी/कर्मचारी तदनुसार ही त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के तहत कार्यो को सम्पादित करायेंगे तथा विभाग के साथ–साथ पंचायत राज व्यवस्था के प्रति भी उत्तरदायी होगें।

## (क) जिला पंचायत स्तर पर अधिकारों/कर्तव्यों का संक्रमण/प्रतिनिधायन कार्यकारी अधिकार/दायित्व

1. जिला योजना के बजट का नियन्त्रण तथा आवंटित धन के समुचित उपयोग की समीक्षा करना।

2. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए बजट के अनुसार अनुसूचित जाति के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान (एस0सी0पी0) तथा जनजाति के लिए

जनजाति उपयोजना (टी0एस0पी0) में मात्राकृत धनराशि के उपयोग की समीक्षा करना।

3. क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित पेयजल योजनाओं/ हैण्ड पम्पों के सामान्य अनुरक्षण हेतु शासन द्वारा जिला पंचायत को आवंटित धनराशि का क्षेत्र/ग्राम पंचायत में विभाजन हेतु मात्राकरण करना।

4. क्षेत्र/ग्राम पंचायतों के द्वारा प्राप्त योजनाओं के अन्तर्गत प्रस्ताव का परीक्षण कराकर स्वीकृति प्रदान करना।

5. जनपद के अन्तर्गत गतिमान पेयजल योजनाओं/हैण्ड पम्पों की स्थापना एवं योजनाओं के क्षतिग्रस्त कार्यों की मरम्मत के संबंध में समीक्षा करना, आवश्यकतानुसार निर्माणाधीन योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करना, गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु तकनीकी परामर्श प्रदान करना।

6. शासन द्वारा पेयजल विभाग से संबंधित निर्धारित कार्यक्रमों/नीतियों के प्रचार–प्रसार हेतु समय–समय पर मेले, गोष्ठियॉ, प्रदर्शनी आदि का आयोजन करते हुए कार्यक्रमों के संचालन का सफल पर्यवेक्षण करना।

7. जिले के अन्तर्गत एक से अधिक क्षेत्र पंचायत को सेवित करने वाली नवीन पेयजल योजनाओं को चिन्हित करना और उनकी स्वीकृति हेतु शासन/सक्षम अधिकारी को प्रस्ताव प्रेषित करना।

8. पेयजल सुविधा के अन्तर्गत सभी तोकों/बस्तियों/ग्रामों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु योजना बनाना तथा योजनाओं के कियान्वयन हेतु सुझाव देना।

## वित्तीय अधिकार/दायित्व

1. जिला योजना के बजट का आवंटन एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करना।

2. क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित योजनाओं के सामान्य अनुरक्षण हेतु शासन/जिला पंचायत द्वारा आवंटित धनराशि का क्षेत्र/ग्राम पंचायतों को आवंटन करना।

3. जिला पंचायत समिति स्तर पर वित्तीय प्रबन्धन हेतु पंचायती राज विभाग द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुरूप एक खाते का संचालन करना तथा हस्तान्तरित योजनाओं के लिए शासकीय सहायता तथा अन्य आय को उसमें जमा कराना।

## प्रशासनिक अधिकार/दायित्व

1. पेयजल विभाग के अन्तर्गत जल संस्थान, पेयजल निगम के जनपद स्तरीय अधिकारी जिला पंचायत के सामान्य नियन्त्रण में रहेगें तथा वे उस जनपद के लिये अपने–अपने विभाग के नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त होंगे।

2. जिला पंचायत अध्यक्ष जिले के संबंधित अधिशासी अभियन्ता (उत्तरांचल जल संस्थान/उत्तरांचल पेयजल निगम) के वार्षिक कार्यो का मूल्यांकन एवं समीक्षा के आधार पर उनकी वार्षिक प्रविष्टि हेतु अपना मंतव्य विभागाध्यक्ष को भेजेंगे, जो उसे यथावत चरित्र पंजिका पर रखेंगे तथा वार्षिक प्रविष्टि में उनके मत का समावेश करेंगे।

3. उत्तराचंल जल संस्थान/उत्तरांचल पेयजल निगम के अधिशासी अभियन्ता के आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति एवं उनके भ्रमण कार्यक्रम के अनुमोदन का अधिकार जिला पंचायत द्वारा नियुक्त अधिकारी को होगा।

4. उत्तरांचल जल संस्थान/उत्तरांचल पेयजल निगम के अधिशासी अभियन्ता के अर्जित/चिकित्सा अवकाश हेतु सक्षम अधिकारी को संस्तुति भेजे जाने का अधिकार जिला पंचायत द्वारा नियुक्त अधिकारी को होगा।

5. विभिन्न ग्राम पंचायत स्तरीय/क्षेत्र पंचायत स्तरीय समितियों के मध्य पेयजल से संबंधित विवाद उत्पन्न होने की दशा में उनका निराकरण कराना।

6. स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत जिला पंचायत के नियन्त्रण में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का स्थानान्तरण सक्षम अधिकारी द्वारा जिला पंचायत के परामर्श से करना होगा।

7. अधिशासी अभियन्ता, उत्तरांचल जल संस्थान/उत्तरांचल पेयजल निगम जनपद में पेयजल योजनाओं के लिए तकनीकी सलाहकार के दायित्वों का निर्वहन करेंगे तथा पंचायत के नियन्त्रण एवं निर्देशन में कार्य करेगें। जिला पंचायत की संस्तुतियों एवं प्रस्तावों को उपलब्ध नियमों एवं प्रकिया की सीमा से बाहर के विषयों को उच्च स्तर पर विभागाध्यक्ष के माध्यम से शासन को संदर्भित करेंगे।

8. ऐसे अन्य कृत्यों को सम्पादित करना जिन्हें समय–समय पर कियान्वयन हेतु सामान्य या विशेष निर्देशों के द्वारा राज्य सरकार निर्देशित करे।

## (ख) क्षेत्र पंचायत स्तर पर अधिकारों/दायित्वों का संक्रमण/प्रतिनिधायन कार्यकारी अधिकार/दायित्व

1. क्षेत्र पंचायत समिति को हस्तान्तरित धनराशि का सदुपयोग एवं पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्यो की प्रगति की समीक्षा करना।

2. विकास खण्ड स्तर पर एक से अधिक ग्राम की पेयजल योजनाओं के सुचारू रूप से संचालन एवं कियान्वयन हेतु ग्राम पंचायत को मार्गदर्शन देना तथा उनका रख–रखाव करना।

3. विकास खण्ड स्तर की पेयजल योजनाओं के मरम्मत कार्यो एवं नवनिर्मित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना।

4. विकास खण्ड स्तर पर पेयजल योजनाओं के साथ–साथ ग्राम पंचायत स्तर पर समन्वय स्थापित करना तथा राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेशों के द्वारा समय–समय पर निर्देशित अन्य कार्यो एवं दायित्वों का निर्वहन करना।

5. विभिन्न ग्राम पंचायत स्तरीय पेयजल से संबंधित मामलों के मध्य विवाद उत्पन्न होने की दशा में उनका निराकरण कराना।

6. क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत संचालित विभागीय पेयजल योजनाओं की प्रगति की समय–समय पर समीक्षा करने के साथ–साथ क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत आवश्यक नवीन पेयजल योजनाओं के चयन तथा पेयजल प्रबन्धों में सुधार हेतु विभाग को उपयोगी सुझाव/मार्गदर्शन प्रदान करना।

7. विभागीय योजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करना तथा उपयोगी मार्गदर्शन देना।

8. शासन अथवा जिला पंचायत स्तर से प्राप्त विभिन्न नीतियों/कार्यक्रमों को मेले, गोष्ठियॉ आदि आयोजित कराकर प्रचार–प्रसार करना तथा इनके सफल क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित सहयोग करना एवं तद्विषयक अभिलेखों का उचित रखरखाव करना।

9. क्षेत्र पंचायत समिति को हस्तान्तरित पेयजल से संबंधित परिसम्पत्तियों की सुरक्षा एवं रखरखाव करना।

## वित्तीय अधिकार/दायित्व

1. क्षेत्र पंचायत समिति को हस्तान्तरित पेयजल योजनाओं के सामान्य अनुरक्षण हेतु जिला पंचायत समिति को शासन तथा जिला पंचायत द्वारा स्वीकृत धन के सापेक्ष क्षेत्र पंचायत को हस्तान्तरित योजनाओं के लिए प्रस्ताव प्रेषित करते हुए धन प्राप्त करना तथा उसका सदुपयोग करना।

2. क्षेत्र पंचायत समिति को हस्तान्तरित पेयजल योजनाओं के लिए पंचायत समिति द्वारा जलकर/जलमूल्य की वसूली करके उसका उपयोग योजना में करना।

3. क्षेत्र पंचायत समिति के वित्तीय प्रबन्धन हेतु पंचायतीराज विभाग द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुरूप क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक खाते का संचालन करना।

4. स्थानीय स्तर पर संग्रहित जलकर/जलमूल्य आदि को संबंधित खाते में जमा कराना।

## प्रशासनिक अधिकार/दायित्व

1. पेयजल विभाग के क्षेत्र पंचायत स्तरीय अधिकारी अर्थात सहायक अभियन्ता अथवा अवर अभियन्ता तथा अन्य क्षेत्र पंचायत स्तरीय अधिकारी पर सामान्य प्रशासनिक नियन्त्रण क्षेत्र पंचायत का होगा।

2. क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष द्वारा उक्त अधिकारी के आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति, उनके भ्रमण कार्यक्रम का अनुमोदन तथा उपार्जित/चिकित्सा अवकाश की संस्तुति सक्षम प्राधिकारी को की जायेगी।

3. क्षेत्र पंचायत स्तरीय अधिकारियों के स्थानान्तरण एवं उनके विरूद्व अनुशासनिक कार्यवाही की संस्तुति शासन/सक्षम स्तर के लिए क्षेत्र पंचायत द्वारा की जायेगी, जिसका यथोचित संज्ञान सक्षम स्तर पर लिया जायेगा।

4. क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष द्वारा क्षेत्र पंचायत स्तरीय अधिकारियों की वार्षिक प्रविष्टि हेतु प्रतिवेदक अधिकारी को अपनी संस्तुति/मन्तव्य प्रेषित किया जायेगा।

## (ग) ग्राम पंचायत स्तर पर अधिकारों/दायित्वों का सक्रमण/प्रतिनिधायन

### कार्यकारी अधिकार/दायित्व

1. उत्तरांचल पेयजल निगम द्वारा निर्मित ग्राम पंचायत क्षेत्र को सेवित करने वाली पेयजल योजना के अन्तर्गत एकल ग्राम गुरूत्व पेयजल योजना, नलकूप, हैण्ड पम्प, उर्द्धव जलाशय तथा भवन आदि के साथ–साथ एक से अधिक ग्राम पंचायत क्षेत्रों में अवस्थित योजना का हस्तान्तरण प्राप्त करना तथा उनका संचालन एवं अनुरक्षण करना।

2. उत्तरांचल पेयजल निगम तथा जल संस्थान द्वारा निर्मित एकल ग्राम पेयजल गुरूत्व योजनाएं एवं हैण्ड पम्पों से संबंधित परिसम्पत्तियों जिनका मुख्य नियन्त्रक ग्राम पंचायत क्षेत्र में अवस्थित है, का हस्तान्तरण प्राप्त करना तथा उनका संचालन एवं अनुरक्षण करना।

3. हस्तान्तरित पेयजल योजनाओं से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों से ऐसी रीति से जलकर/जलमूल्य का निर्धारण एवं वसूली करना कि योजना के अनुरक्षण करने हेतु ग्राम समिति यथा संभव शीघ्र वित्तीय रूप से आत्म निर्भर हो सके।

4. हस्तान्तरित पेयजल योजनाओं एवं हैण्ड पम्पों के सामान्य अनुरक्षण हेतु जिला पंचायत समिति के माध्यम से धन प्राप्त होने पर अनुरक्षण कार्य सम्पादित करना एवं योजना के सुदृढ़ीकरण अथवा वृहद मरम्मत का कार्य कराना।

5. हस्तान्तरित पेयजल योजनाओं के लिए उपभोक्ता समूह (Users Groups) गठित करना। यदि ग्राम पंचायत स्तर पर निर्मित किसी योजना में पूर्व से ही उपभोक्ता समूह (Users Groups) का गठन कर उन्हें हस्तान्तरित की जा चुकी है तो उसका संचालन उपभोक्ता समूह द्वारा ही किया जायेगा।

6. ग्राम पंचायत क्षेत्रान्तर्गत आवश्यक नई पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु नई योजनाओं के लिए उपयुक्त श्रोतों का चयन करना एवं नई पेयजल योजनाओं एवं हैण्ड पम्पों के अधिष्ठापन का प्रस्ताव तैयार कर विभाग को स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराना।

7. ग्राम पंचायत स्तर पर पेयजल सम्बन्धी कार्यक्रमों एवं नीतियों से ग्रामवासियों को अवगत कराना और अपेक्षित सहयोग करते हुए उनका अनुपालन सुनिश्चित करना।

8. हस्तान्तरित योजनाओं/हैण्ड पम्पों की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा करना तथा एतद्विषयक अभिलेखों का उचित रख रखाव सुनिश्चित करना।

9. ग्राम पंचायत क्षेत्रान्तर्गत निर्मित पेयजल योजनाओं एवं हैण्ड पम्पों के पुनर्गठन/जीर्णोद्धार एवं निर्माण/अधिष्ठापन हेतु उपलब्ध कराये गये धन को निर्धारित नियमों एवं उपनियमों के अन्तर्गत व्यय सुनिश्चित करना।

10. ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत उपभोक्ताओं से उपभोग शुल्क का निर्धारण करना एवं उसकी वसूली करना तथा वसूली गयी धनराशि को ग्राम पंचायत के खाते में जमा करना।

11. ग्रामवासियों को जल संरक्षण यथा वर्षा जल दोहन/पारम्परिक जल श्रोत/चालखाल का संवर्द्धन एवं जल के सदुपयोग/गुणवत्ता के सम्बन्ध में उन्हें शिक्षित एवं जागरूक करना।

## वित्तीय अधिकार/दायित्व

1. ग्राम पंचायत स्तर पर हस्तान्तरित पेयजल योजनाओं/हैण्ड पम्पों के सामान्य रखरखाव हेतु ग्राम पंचायत समिति को शासन/जिला पंचायत द्वारा दिये गये धन के सापेक्ष ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित योजनाओं एवं हैण्ड पम्पों के अनुरक्षण प्रस्ताव प्रेषित करते हुए धन प्राप्त करना तथा उसका उचित उपयोग करना।
2. पंचायती राज विभाग द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुरूप ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत समिति के वित्तीय प्रबन्धन हेतु एक खाते का संचालन कराना और हैण्ड पम्पों/योजनाओं के सामान्य अनुरक्षण हेतु प्राप्त धन तथा स्थानीय स्तर पर संग्रहीत जलकर/जलमूल्य आदि को उस खाते में जमा करना।

3. ग्राम पंचायत समिति द्वारा निर्धारित एवं वसूल किये गये जलकर/जलमूल्य का उपयोग जनहित की पेयजल योजना में करना।

## प्रशासनिक अधिकार/दायित्व

1. उत्तरांचल पेयजल निगम एवं उत्तरांचल जल संस्थान के ग्राम पंचायत स्तरीय अधिकारियों पर सामान्य प्रशासनिक नियन्त्रण ग्राम पंचायत का होगा।

2. ग्राम पंचायत अध्यक्ष द्वारा उक्त अधिकारियों को आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति, उनके भ्रमण कार्यक्रम का अनुमोदन, उपस्थिति सत्यापित करते हुए

वेतन भुगतान की संस्तुति तथा उपार्जित/चिकित्सा अवकाश की संस्तुति सक्षम प्राधिकारी को की जायेगी।

3. ग्राम पंचायत अध्यक्ष द्वारा उक्त अधिकारियों की वार्षिक प्रविष्टि हेतु प्रतिवेदक अधिकारी को अपनी संस्तुति/मन्तव्य प्रेषित किया जायेगा।

4. ग्राम पंचायत अध्यक्ष द्वारा उक्त अधिकारियों के स्थानान्तरण एवं उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की संस्तुति सक्षम स्तर पर की जायेगी जिसको यथोचित संज्ञान में लिया जायेगा।

## सामान्य निर्देश

एक से अधिक ग्राम पंचायतों में स्थित एकल पेयजल गुरूत्व योजनाओं के सम्बन्ध में सम्बन्धित ग्राम पंचायतों की संयुक्त समिति गठित होगी। संयुक्त समिति एवं ग्राम पंचायतों द्वारा दायित्व निर्वहन में निम्नानुसार सामान्य व्यवस्थायें रहेंगी :–

1. उपकरणों की खरीद हेतु तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृतियां विभागीय निर्धारित मानको के अनुसार की जायेगी तथा योजनाओं के आगणनों व योजना/संरचना (डिजाइन) के तैयार करने एवं बजट तैयार करने आदि कार्यो हेतु वर्तमान वित्तीय अधिकारों एवं नियमों के अधीन सीमा के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत स्तरीय उपसमिति निर्णय/संस्तुति करेगी तथा अपने–अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर होने पर अपने से उच्च समिति को प्रकरण संदर्भित करेगी। जिला पंचायत ऐसे प्रकरण विभागाध्यक्ष यथा स्वजल, उत्तरांचल पेयजल निगम एवं उत्तरांचल जल संस्थान को संदर्भित करेगी।

2. ग्राम पंचायत स्तर पर उपभोग शुल्क की वसूली ग्राम पंचायत स्तर पर नियुक्त कर्मचारियों द्वारा सुनिश्चित की जायेगी तथा वसूल की गई धनराशि सम्बन्धित ग्राम पंचायत की ग्राम निधि के खाते में जमा की जायेगी तथा आवश्यकतानुसार निर्धारित प्रकिया/नियमों/उपनियमों के अधीन ग्राम पंचायत के क्षेत्रान्तर्गत पेयजल योजनाओं के रखरखाव हेतु व्यय की स्वीकृति दी जायेगी। समिति के खाते में अन्य श्रोतों से प्राप्त अनुदान/वित्तीय सहायता की धनराशि भी जमा की जायेगी।

3. वाह्य सहायतित योजनाओं एवं केन्द्रीय वित्त पोषित योजनाओं के कियान्वयन हेतु भारत सरकार के दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. ग्राम पंचायत स्तर पर उपभोग शुल्क की वसूली का कार्य संबंधित समिति के मार्गदर्शन में विभागीय कर्मचारी द्वारा तब तक किया जाता रहेगा जब तक कि समिति इसके लिए अपने स्तर से कोई वैकल्पिक व्यवस्था न कर लें किन्तु हस्तान्तरित योजना के संबंध में वसूल किया जाने वाला जलकर/जलमूल्य समिति के खाते में ही जमा कराया जायेगा।

5. ग्राम पंचायत उपभोग शुल्क एवं अन्य आय के श्रोतों में वृद्वि करने के लिए सार्थक प्रयास करेगी जिससे उसकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो सकें।

6. ग्राम/क्षेत्र/जिला स्तरीय विभागीय अधिकारियों को वेतन भुगतान यथावत सम्बन्धित विभाग द्वारा किया जायेगा, जब तक कि सम्बन्धित समिति इस निमित्त पूर्णतः आत्म निर्भर नहीं हो जाती है।

7. हस्तान्तरित होने वाली पेयजल योजनाओं के विद्युत देयकों का भुगतान वर्तमान व्यवस्था के अधीन ही विभाग द्वारा तब तक किया जाता रहेगा जब तक कि सम्बन्धित समिति इस निमित्त पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं हो जाती।

उक्त व्यवस्थायें इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी, जिसका कठोरता से अनुपालन सभी कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों एवं सभी पंचायतों के सम्मानित निर्वाचित सदस्यों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

डा0 एस0एस0 सन्धू
सचिव

संख्या 2121 /उन्तीस/04–2/2004 तद्दिनांक

**प्रतिलिपि**– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
3. स्टाफ आफिसर–मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
4. स्टाफ आफिसर–अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
5. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. समस्त विभागाध्यक्ष।
7. मण्डलायुक्त कुमायूँ/गढ़वाल मण्डल।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
9. निदेशक, पंचायती राज, उत्तरांचल, देहरादून।
10. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल।
11. वित्त अनुभाग–3 ।
12. गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव